आंचलिक महायोजना

संजय राष्ट्रीय उद्यान एवं संजय डुबरी वन्यजीव अभ्यारण्य

खंड 1

विषय सूची

परिभाषाएं...1

संकेताक्षर 3

अध्याय 1 हरित भूमि नियोजन 4

1.1 दृष्टिकोण 4

1.2 प्रबंधन का उद्देश्य 4

1.3 अल्पकालिक उद्देश्य 4

1.4 दीर्घकालिक उद्देश्य 4

1.5 उद्देश्यों की प्राप्ति में कठिनाइयाँ 4

अध्याय 2 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के जोनिंग की योजना एवं दिशा-निर्देश.................................5

2.1 पर्यावरण अनुकूल सुझावात्मक भू उपयोग योजना 5

2.2 सतत विकास और प्रकृति सरंक्षण के क्षेत्र 6

2.3 पारिस्थितिक पुनरुद्धार के क्षेत्र 6

2.4 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में प्रतिषिद्ध गतिविधियां 6

2.5 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में विनियमित गतिविधियां 6

2.6 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में संवर्धित गतिविधियाँ 6

अध्याय 3 विषय योजना...7

3.1 सरंक्षण – विकास के विषयों का समाधान 7

3.2 मिट्टी की नमी व्यवस्था को बनाए रखना 9

3.3 कोरिडोर और कनेक्टिविटी का पुनर्स्थापन 10

3.4 वर्षाजल संवर्धन (Rain Water Harvesting- RWH) 10

3.5 नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन 10

3.6 अपशिष्ट जल उपचार 11

3.7 .ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 11

3.8 जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन 11

3.9 वर्षा जल प्रबंधन 12
3.10 वाहनों के यातायात का नियंत्रण 12
3.11संसाधन निष्कर्षण का प्रबंधन 12
3.12 हानिकारक कचरे का प्रबंधन 13
3.13 सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण 13
3.14 जल के प्राकृतिक स्त्रोतों का संरक्षण 13
3.15 जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना 13
3.16 पर्यटन और विरासत संरक्षण (उप-क्षेत्रीय पर्यटन योजना) 14
3.17 कृषि और पशुधन प्रबंधन 15
3.18 कुटीर उद्योंगों को प्रोत्साहन देना 15
3.19 प्रदूषण कम करना 15
3.20 मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) प्रबंधन 16

अध्याय 4 आजीविका के विषय 17

4.1 हितधारकों से परामर्श 17
4.2 पारिस्थितिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना 17
4.3 माइक्रो प्लान तैयार करना 18
4.4 माइक्रो-प्लान का क्रियान्वयन 18

अध्याय 5 उप क्षेत्रीय (सब जोनल) पर्यटन योजना 19

5.1 सतत पर्यटन को प्रोत्साहन 19
5.2 सरंक्षण शिक्षा 21
5.3 पर्यटन के लिए प्रबंधन दिशा निर्देश 21

अध्याय 6 अनुसंधान, निगरानी और प्रशिक्षण 22

6.1 अनुसंधान और निगरानी को प्राथमिकता देना 22
6.2 कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन का विकास 22
6.3 कौशल विकास और कार्य-स्थल पर प्रशिक्षण 23
6.4 शिक्षण केंद्र की स्थापना 23

6.5 क्षमता निर्माण और विभिन्न योजनाओं से अभिसरण 24

अध्याय 7 बजट 25

7.1 योजना बजट 25

7.2 वित्तपोषण का स्रोत 25

7.3 आहरण (ड्राइंग) एवं संवितरण तंत्र 26

अध्याय 8 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में विनियम 27

8.1 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन क्षेत्र में अनुमति जारी करना 27

8.2 संवेदनशील क्षेत्रः 28

8.3 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के अधिसूचना अनुसार विनियम 30

8.4 विनियामक प्राधिकरण 30

8.5 कार्यान्वयन और प्रक्रिया प्रवाह 31

अध्याय 9 निष्कर्ष 33

परिभाषाएं

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन : पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन (Eco Sensitive Zone- ESZ) भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास अधिसूचित क्षेत्र हैं। पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन घोषित करने का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को विनियमित और प्रबंधित करके संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक तरह का "शॉक एब्जॉर्बर" बनाना है।

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र : पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र , संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्र को संदर्भित करता है जो उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा 1989 से की गई है।

पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ : मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट ने पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को "वे लाभ जो लोग पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त करते हैं" के रूप में परिभाषित किया है।

पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र : पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र , ऐसे भू-दृश्य तत्व या स्थान हैं जो स्थल पर और क्षेत्रीय संदर्भ में जैविक विविधता, मिट्टी, पानी या अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दीर्घकालिक रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें वन्यजीव आवास क्षेत्र, खड़ी ढलान, आर्द्रभूमि और प्रमुख कृषि भूमि शामिल हैं।

संरक्षित क्षेत्र: एक संरक्षित क्षेत्र एक स्पष्ट रूप से परिभाषित भौगोलिक स्थान है, जिसे वैधानिक या अन्य प्रभावी माध्यमों से मान्यता प्राप्त है, सुनिश्चित किया हुआ है और प्रबंधित किया जाता है, ताकि संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ प्रकृति का दीर्घकालिक संरक्षण प्राप्त किया जा सके। (IUCN परिभाषा 2008)

कोर ज़ोन : कोर ज़ोन अबाधित पारिस्थितिकी तंत्र और एक विशिष्ट क्षेत्र की विशेषता से बनता है। यह सबसे अधिक सुरक्षा वाला क्षेत्र है, यह केवल उन गतिविधियों की अनुमति देता है जो पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में हस्तक्षेप नहीं करती हैं और दीर्घकालिक रूप से जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित करती है ।

बफर ज़ोन: बफर ज़ोन एक विशिष्ट संरक्षण क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाए गए क्षेत्र हैं, जो अक्सर इसके बाहरी हिस्से में होते हैं। बफर ज़ोन के भीतर, एक ट्रांजीशन ज़ोन बनाने के उद्देश्य से संसाधनों का उपयोग, सटे हुए संरक्षित क्षेत्र की तुलना में कम मात्रा में, वैधानिक या परंपरागत रूप से प्रतिबंधित हो सकता है।

राष्ट्रीय उद्यान : राष्ट्रीय उद्यान , किसी राज्य में उसके स्वामित्व की प्राकृतिक, अर्ध प्राकृतिक या विकसित भूमि का भंडार है, जिसे वह राज्य संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान घोषित करता है ।

वन्यजीव अभयारण्य: वन्यजीव अभयारण्य एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जो जंगली जानवरों को सुरक्षा और रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है। वन्यजीव अभयारण्य एक प्राकृतिक आवास है, जिसका स्वामित्व सरकार या निजी एजेंसी के पास होता है जो पक्षियों और जानवरों की विशेष प्रजातियों की सुरक्षा करता है।

ज़ोनल मास्टर प्लान: ज़ोनल विकास/महायोजना एक ज़ोन के लिए एक विस्तृत प्लान है जिसे एक महायोजना के फ्रेमवर्क के तहत बनाया और तैयार किया जाता है, जिसमें अलग-अलग भूमि के उपयोग, सड़कों और गलियों, उद्यान और खुली जगहों, सामुदायिक सुविधाओं, सेवाओं और सार्वजनिक उपयोगिताओं आदि के लिए प्रस्ताव होते हैं।

वहनीय क्षमता : WTO (विश्व व्यापार संगठन) के अनुसार, वहनीय क्षमता को इस तरह परिभाषित किया गया है: "लोगों की अधिकतम संख्या जो एक ही समय में किसी पर्यटन स्थल पर जा सकते हैं, बिना भौतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए और आगंतुकों की संतुष्टि की गुणवत्ता में अस्वीकार्य कमी किए बिना।"

कीस्टोन प्रजाति: कीस्टोन प्रजाति एक पौधा या जानवर है जो एक इकोसिस्टम के काम करने के तरीके में एक अनोखी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कीस्टोन प्रजातियों के बिना, इकोसिस्टम बहुत अलग होगा या पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।

संकेताक्षर

CBD	Convention on Biological diversity	जैविक विविधता पर अभिसमय
COP	Conference of parties	सभी पक्षों का सम्मेलन
ESA	Eco-Sensitive Area	पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र
ESZ	Eco-Sensitive Zone	पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन
MoEFCC	Ministry of Environment, Forest & Climate Change	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MPTB	Madhya Pradesh Tourism Board	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड
NP	National Park	राष्ट्रीय उद्यान
PA	Protected Area	संरक्षित क्षेत्र
SEPL	Socio- ecological Production Landscape	सामाजिक-पारिस्थितिक उत्पादन परिदृश्य
ULB	Urban Local Body	शहरी स्थानीय निकाय
WLS	Wildlife Sanctuary	वन्यजीव अभयारण्य
ZMP	Zonal Master Plan	आंचलिक महायोजना

अध्याय 1 हरित भूमि नियोजन

1.1 दृष्टिकोण

संजय डुबरी पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन (इको सेंसिटिव जोन – ई एस जेड) की आंचलिक महायोजना का उद्देश्य , पारिस्थितिक तंत्र द्वारा प्रदान किये जा रहे लाभ और सेवाओं में वृद्धि करना, स्थानीय समुदायों की सामाजिक – आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाना , रोजगार के विभिन्न अवसर उत्पन्न करना, प्रकृति आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना और सभी के सहयोग से प्राकृतिक सम्पदा की सुरक्षा करना है।

यह अनुभाग (सेक्शन) , विद्यमान जल स्त्रोतों के अत्यधिक उपयोग के कारण जल संसाधन प्रबंधन की कठिनाइयों पर, विविध प्रकार की कृषि पद्धतियों की आवश्यकताओं और आजीविका के अन्य विकल्पों पर तथा सभी के सहयोग से प्रकृति के सरंक्षण के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।

1.2 प्रबंधन का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य, संसाधनों का बुद्धिमता पूर्ण उपयोग तथा उनको पुन: उत्पन्न होने देने के अवसर प्रदान करना, पारिस्थितिक तंत्र से निरंतर सेवाएं प्राप्त करते रहना , सतत आजीविका , प्रकृति आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना, प्राकृतिक आश्रय स्थलों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना तथा इको सेंसिटिव ज़ोन के लिए एकीकृत शासन की रुपरेखा बनाना है। प्रबंधन के उद्देश्यों में, समुदायों की आवश्यकताओं, पारिस्थितिक स्वास्थ्य और संस्थागत प्रभावशीलता के मध्य परस्पर संतुलन पर बल दिया गया है।

1.3 अल्पकालिक उद्देश्य

अल्पकालिक उद्देश्यों में , मानव- वन्यजीव संघर्ष कम करना, वन्य जीव प्राकृतिक आश्रय स्थलों (हैबिटैट) का सरंक्षण करना, सतत आजीविका को बढ़ावा देना, भूजल का संवर्धन, कृषि में सहायता तथा पर्यटन एवं आवासीय विकास को विनियमित करना है। अंतत: सरंक्षित क्षेत्रों और स्थानीय संसाधनों पर दबाव को कम करने हेतु आवश्यक विकास करना हैं।

1.4 दीर्घकालिक उद्देश्य

योजना के दीर्घकालिक उद्देश्यों में, प्राकृतिक आश्रय स्थलों (हैबिटैट) के आपसी संपर्कों को बढ़ावा देना, भू जल पर निर्भरता कम करना, सतत विकास और पर्यटन को सशक्त करना, सामाजिक-आर्थिक दशा को सुधारना तथा हरित अधोसरंचना, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण निवारण के लिए एक बेहतर संस्थागत ढांचा विकसित करना शामिल है।

1.5 उद्देश्यों की प्राप्ति में कठिनाइयाँ

उपरोक्त उद्देश्य प्राप्ति में कुछ कठिनाइयाँ हैं जो इस प्रकार हैं - जागरूकता में कमी, नौकरशाही और संस्थागत गतिरोध, क्षमताओं में कमी, पारिस्थितिक संवदि ज़ोन में कार्यान्वयन का जोखिम, तथा विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसीयों के निर्णयों में भिन्नता के कारण विरोधाभास की वजह से अंतर एजेंसी समन्वय में सुधार की आवश्यकता है।

अध्याय 2 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के जोनिंग की योजना एवं दिशा-निर्देश

2.1 पर्यावरण अनुकूल सुझावात्मक भू उपयोग योजना

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के जोनल मास्टर प्लान, क्षेत्र में निहित किसी भी भूमि के भू उपयोग अथवा भू आवरण को परिभाषित नहीं करते हैं ।भू उपयोग योजना , प्राकृतिक संसाधनों (वन्यजीव आश्रय स्थलों , जलाशयों, भू उपयोग, ढलान , प्रशासनिक सीमाएं) की विशेषताओं को मानवीय गतिविधियों (वाहनों की आवाजाही , ट्रांसमिशन लाइन्स, कृषि , बसाहटों) की तीव्रता के साथ समावेशित कर , विस्तृत पर्यावरणीय संवेदनशीलता मेपिंग प्रणाली पर आधरित थी , ताकि प्रबंधन और सरक्षण के लिए समग्र जोनिंग की जा सके ।

2.1.1 पर्यावरणीय संवेदनशीलता आरेखण

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन की पर्यावरणीय संवेदनशीलता का मूल्यांकन , वन्यजीव हैबिटैट, जलाशयों, बहने वाली धाराओं की तीव्रता, प्रशासनिक सीमाओं और ढलान जैसे मानदंडों का उपयोग कर किया गया है । आरेखण के निकर्षों के अनुसार , मुख्य वन्यजीव हैबिटैट और नदी तल विस्तारों को उच्च संवेदनशील चिन्हित किया गया है , जबकि भू आवरण, आर्द्रभूमि और बफर क्षेत्र परिवर्तित संवेदनशीलता दर्शाते हैं। (खण्ड 2, परिशिष्ठ 3 , अध्याय 2, अनुभाग 2.1.1 , टेबल 2 से 10, मानचित्र 1 से 23)

2.1.2 मानवीय गतिविधि तथा प्रभाव मूल्यांकन

मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के निर्धारण में वाहनों का यातायात , जनसँख्या घनत्व, कृषि, इंधन का प्रयोग , भू जल निष्कर्षण और पशुधन प्रबंधन पर विचार किया गया है । मानवीय गतिविधियो के प्रभाव का यह निर्धारण पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन पर महत्वपूर्ण बढ़ता दबाव दर्शाता है । (खण्ड 2 , परिशिष्ठ 3, अध्याय 2 , अनुभाग 2.1.2 , मानचित्र 25)

2.1.3 समग्र जोनिंग (स्थानिक क्षेत्र)

पारिस्थितिक विकास, भविष्य की बसाहटें , कैम्पिंग , पारिस्थितिकी सम्वेंदंशीलता, रेस्टोरेशन और हरित बफर ज़ोन, संवेदनशील हैबिटैट के स्थानिक केन्द्रीकरण पर विचार करते हुए समग्र निर्धारण, एक से अधिक प्रबंधन ज़ोन की व्याख्या करता है । (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 3, अनुभाग 2.1.3, प्रदर्श 3, मानचित्र 26)

2.1.4 विनियामक फ्रेम वर्क में जोनिंग का अनुप्रयोग

जोनिंग विनियम, स्थानिक विश्लेषण को पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन विनियामक फ्रेमवर्क से जोड़ते हैं तथा यह निर्देशित करते हैं कि संवर्धित, विनियमित और प्रतिषिद्ध गतिविधियों के लिए , परियोजना परिक्षण के लिए निर्धारित मानक प्रक्रिया का उपयोग करते हुए, परियोजना अनुमोदन में ज़ोन विशिष्ट दृष्टिकोण का अनुसरण किया जाए । (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 3, अनुभाग 2.1.4)

2.2 सतत विकास और प्रकृति सरंक्षण के क्षेत्र

पारिस्थितिक विकास क्षेत्र, सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति, भविष्य की बसाहटों के क्षेत्र के प्रबंधित प्रबधित विस्तार को दिशा देते हैं, कैम्पिंग ज़ोन पर्यावरण को कम प्रभावित करने वाले पर्यटन को बढ़ावा देते हैं सरंक्षित और हरित बफर संवेदी हैबिटैट, जहाँ सरंक्षण और वृक्षारोपण को प्राथमिकता है, को सम्मिलित करते हैं। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 2, सेक्शन 2.2 और 2.3देखें)

2.3 पारिस्थितिक पुनरुद्धार के क्षेत्र

अनुपयोगी क्षेत्रों में , पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पुनर्स्थापित करने तथा भविष्य के संभावित सामुदायिक और सरंक्षण उपयोगों के उद्देश्य से , समुदाय द्वारा प्रेरित प्रयासों की पहचान की गई है । (खंड 2, अनुलग्नक-3, अध्याय 2, अनुभाग 2.4 देखें)

2.4 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में प्रतिषिद्ध गतिविधियां

गतिविधियाँ जैसे, खनन, प्रदूषण फ़ैलाने वाले उद्योग, आरा मिलों की स्थापना, जलाऊ लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग, वृहद जल विद्युत् परियोजनाएं, परिसंकटमय पदार्थों का प्रयोग, अनुपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, काष्ठ आधारित उद्योग और बकरी पालन समूचे ज़ोन में प्रतिबंधित है । (खंड 2, अनुलग्नक-3, अध्याय 2, अनुभाग 2.5 देखें)

2.5 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में विनियमित गतिविधियां

विनियमित गतिविधियाँ (होटल/ रिसोर्ट, सन्निर्माण, वृक्षों की कटाई, संसाधनों का निष्कर्षण, जल एवं उर्जा अधोसरंचनाएँ , सड़क निर्माण, वाहनों की आवाजाही, विदेशी प्रजातियों का लाना, अपशिष्ट निस्सारण, लघु उद्योग, पर्यटन गतिविधियाँ) गतिविधियों के स्थान के आधार पर अनुमोदन के अधीन हैं और विशिष्ट ज़ोनिंग और प्रबंधन दिशानिर्देशों के साथ आवश्यक रूप से सरेखित होना चाहिए (खंड 2, अनुलग्नक-3, अध्याय 2, अनुभाग 2.6 देखें)।

2.6 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में संवर्धित गतिविधियाँ

संवर्धित गतिविधियों में सतत कृषि, वर्षा जल संवर्धन, जैविक कृषि, हरित प्रोद्योगिकी कुटीर उद्योग, नवीकृत उर्जा, कृषि वानिकी, कोशल विकास तथा पर्यावरणीय जागरूकता शामिल है । संवर्धित गतिविधियों का उद्देश्य सरंक्षण को ध्यान में रखते हुए समुदाय को आजीविका के अवसर उपलब्ध करना है । (खंड 2, अनुलग्नक-3, अध्याय 2, अनुभाग 2.7 देखें)

अध्याय 3 विषय योजना

3.1 सरंक्षण – विकास के विषयों का समाधान

बिना योजना के बसाहटों के विस्तार और संसाधनों के निष्कर्षण के खतरों को पहचानना एक मुख्य विषय है , जो भू उपयोग और अधोसरंचनाओं के उपयोग को विनियमित करने की आवश्यकता को इंगित करता है तथा जल निकायों, आर्द्रभूमि, धाराओं और अन्य मुख्य पारिस्थितिक स्थानों के चारो और आवश्यक रूप से बफर बनाए जाने को प्रस्तावित करता है । सतत भू प्रबंधन को रैखिक अधोसरंचना योजना और पर्यावरण अनुकूल निर्माण दिशा निर्देशों जैसे उपायों से बढ़ावा दिया गया है, जो ध्वनि, जल प्रदूषण और हैबिटैट बिखराव को कम करते हैं । (खंड 2, अनुलग्नक-3, अध्याय 3, अनुभाग 3.1 देखें)

विशेषकर , इस योजना में यह आवश्यक कि सभी नए विकास हरित बिल्डिंग मानकों का पालन करें, जिससे बस्तियों का आकार और प्रभाव सख्ती से कम हो। सामुदायिक अधिकारों (जैसे वन अधिकारों की पहचान) और विकेंद्रीकृत निर्णय लेने को शामिल कर , इसका उद्देश्य भूमि के उपयोग के लिए सभी की सहभागिता युक्त उपाय खोजना है जो वनों को बचाने और स्थानीय हितों का भी ध्यान रखें ।

निष्कर्ष: यह विषय योजना, सरंक्षण-विकास समावेशन पर ध्यान केन्द्रित करती है , जो सख्त ज़ोनिंग लागू करने, समुदाय-आधारित योजना को आगे बढ़ाने और पहले से तय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पालन करने पर निर्भर है।

3.1.1 हरित अवसंरचना का विकास

हरित अवसंरचना को न सिर्फ इकोसिस्टम की समग्रता के लिए बल्कि समुदाय के कल्याण और जलवायु अनुकूलता के लिए भी आवश्यक बताया गया है (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.1.1 देखें) । सरंक्षण के लिए प्रस्तावित हैं -

- खुली जगह
- पार्कों और सामुदायिक उद्यानों का विकास करना
- कॉम्पैक्ट और मिश्रित-उपयोग विकास को बढ़ावा देना
- पगडंडियों और साइकिल मार्गों के साथ पैदल चलने योग्य परिवेश बनाना

यह योजना लैंडस्केपिंग के लिए स्थानीय प्रजाति के पेड़-पौधों को अपनाने को बढ़ावा देता है, हरित अवसरंचना डिज़ाइन में समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देता है, और सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड को आवश्यक बनाता है।

प्राकृतिक क्षेत्रों की सुरक्षा और हरित कॉरिडोर निर्माण को पर्यावरण की सुरक्षा और संजय डुबरी के सम्बन्ध में समझ को को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक बताया गया है।

3.1.2 समुदाय-आधारित प्रयासों के माध्यम से वन्यजीवों का संरक्षण

यह मानते हुए कि प्रभावी सरंक्षण, समुदाय की भागीदारी के बिना नहीं किया जा सकता है, यह थीम वन्य जीव सरंक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी के उपायों के बारे में बताती है। उदाहरण के लिए बांधवगढ़ की टाइगर सरंक्षण फ़ोर्स (TPF), जिसमें स्थानीय युवा और एक्स-सर्विसमैन शामिल हैं, मॉडर्न लॉ एनफोर्समेंट को ज़मीनी स्तर पर देखरेख के साथ जोड़कर इस समेकित दृष्टिकोण का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। समुदाय-आधारित गतिविधियों में पर्यावरणीय पेट्रोलिंग, अग्नि शमन प्रबंधन , सरंक्षण प्रक्रिया में बच्चों को शामिल करना, और वन्यजीवों के खतरों को रोकने के लिए कुओं को ढकना शामिल है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.1.2, प्रदर्श 4 , चित्र 1 से 2 देखें)

समुदाय-आधारित प्रयास भी वन्य जीवों से फसल को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तारों की बाड़ के स्थान पर जीवित पौधों की रुकावटों का इस्तेमाल करके बायो-फेंसिंग को बढ़ावा देते हैं।

3.1.3 वनों में आग के नियंत्रण और रोकथाम के उपाय

वनों की आग को प्रबंधित करना एक आवश्यक पारिस्थितिकीय और सामाजिक प्राथमिकता है। संजय डुबरी के पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में आग अधिकतर मानवीय गतिविधियों के कारण लगती है, जिसमें गैर काष्ठ वन उत्पाद इकट्ठा करने के लिए जानबूझकर जलाना, अचानक चिंगारियां निकलना और खेत साफ करना मुख्य कारण हैं। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.1.3 देखें)। बचाव के तरीकों में शामिल हैं;

- आग की लाइनों को काटना और बनाए रखना,
- रणनीतिक स्थानों पर अग्नि निगरानी टावर बनाना
- सामुदायिक अग्निशमन दलों का गठन

यह योजना शिक्षा और सावधानी पर ध्यान केन्द्रित करता है, विशेषकर त्योहारों या ज़्यादा जोखिम वाले मौसम में, और तुरंत प्रतिक्रिया के लिए टेक्नोलॉजी के समावेशन (जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन और सैटेलाइट डेटा) को बढ़ावा देती है।

निष्कर्ष: संजय डुबरी में जंगल की आग की घटनाओं को कम करने के लिए, तेज़ी से पता लगाने और उसे रोकने के लिए व्यवस्थित निवारक अवसरंचना और मज़बूत सामुदायिक सहभागिता , दोनों की आवश्यकता है।

3.1.4 वन्यजीव और उसके पर्यावास का संरक्षण

हालांकि पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के कुछ हिस्सों में अभी वन्यजीवों की संख्या सीमित है, लेकिन भविष्य में वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि करने के लिए अधिक सक्रीय हैबिटैट प्रबंधन को बहुत आवश्यक माना जाता है। कार्य योजना, फ़ॉरेस्ट गार्ड द्वारा, विशेषकर मानसून के दौरान या रात में, गश्तों के माध्यम से और ख़ुफ़िया जानकारियां इकट्ठा करने, वॉटरहोल मॉनिटरिंग, और अवैध शिकार जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कड़े प्रोटोकॉल बनाने के पर ध्यान केन्द्रित करती है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.1.4 देखें)।

स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर काम करने और समुदाय द्वारा लगातार निगरानी करने की सलाह दी गई है, साथ ही शिकार रोकने के विशेष उपाय जैसे कि बिजली के झटके लगने वाली जगहों या लोहे के जाल को ट्रैक करना भी आवश्यक है। विशेषतौर पर, कार्यात्मक पारदर्शिता और ज़िला अधिकारियों के साथ तालमेल को दीर्घावधि में हैबिटैट सरंक्षण के लिए आवश्यक माना गया है।

निष्कर्ष: पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन का हैबिटैट सरंक्षण एक सामुदायिक और संस्थागत प्रयास है, जो इस कार्य के लिए स्टाफ रखकर, कड़ी निगरानी और समुदाय के सहयोग पर निर्भर है।

3.1.5 निर्माण और अनुमोदन प्रणाली

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में एक बड़ा संस्थागत सुधार एक निर्माण और प्रबंधन प्राधिकरण बनाना है जो सभी निर्माण गतिविधियों की जांच और स्वीकृति देगा। यह निकाय क्षेत्रीय महायोजना के साथ सामंजस्य करेगा, योजना किए गए पुनर्स्थापना और पुनर्वास में सहायता करेगा , और बिना अनुमति प्राप्त किये गए विकास को रोकेगा। इस प्राधिकरण को शुरू करने से योजना की सरंचनात्मक , पारदर्शी शहरीकरण के लिए प्रतिबद्धता दिखाई देती है। और प्राधिकरण यह गारंटी देता है कि भविष्य का विकास, सरंक्षण मूल्यों से समझोता नहीं करेगा (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.1.5 देखें)।

निष्कर्ष: संजय डुबरी की पारिस्थितिक एकरूपता को बनाए रखने और आवश्यक सामाजिक-आर्थिक विकास की अनुमति देने के लिए निर्माण गतिविधियों पर एक केंद्रीकृत निगरानी आवश्यक मानी गई है।

3.1.6 ब्योहारी-मडवासग्राम रेल लाइन को चरणबद्ध तरीके से हटाना

इंडियन रेलवे के निजीकरण के बाद, नेशनल पार्क से गुज़रने वाली रेलवे लाइन को चरणबद्ध तरीके से विस्थापित किया जा सकता है। ब्योहारी से मडवासग्राम तक नेशनल पार्क के चारों ओर से अन्य मार्ग का विकल्प खोजा जा सकता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय कायम 3, सेक्शन 3.1.6 प्रदर्श 6 देखें)।

3.2 मिट्टी की नमी व्यवस्था को बनाए रखना

यह विषय योजना, मिट्टी के खराब होने और भू जल की कमी की चुनौतियों पर चर्चा करती है, और इसमें स्थल विशेष तकनीक जैसे सरंक्षण कृषि , समेकित पोषण प्रबंधन, घने वृक्ष लगाना, पशुओं को नियंत्रित तरीके से चराई , कंटूर बन्डिंग, चेक डैम और वानस्पतिक बैरियर को अपनाने का सुझाव देती हैं। विषय योजना में आगे पारंपरिक जल संवर्धन सरंचनाओं को फिर से ठीक करने और मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए वानस्पतिक आवरण के उपयोग का भी सुझाव दिया गया है।

मिट्टी के प्रतिसंधारण के लिए विषय योजना में टिकाऊपन बढ़ाने हेतु रेस्टोरेशन परियोजनाओं की निगरानी और स्थानीय समुदायों द्वारा स्वयं उत्तरदायित्व लेने का प्रस्ताव है, जिसमें समुदाय के नेतृत्व वाले जलसंभर (वाटरशेड) प्रबंधन को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और उससे जुड़ी स्कीमों के ज़रिए वित्तीय कन्वर्जेन्स के साथ रखा गया है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.2, प्रदर्श- 7, चित्र 4 से 5 देखें)।

3.3 कोरिडोर और कनेक्टिविटी का पुनर्स्थापन

प्राकृतिक आश्रय स्थलों (हैबिटैट) को जोड़ा जाना सुनिश्चित करना एक प्रमुख संरक्षण लक्ष्य है , विशेषकर वन्यजीवों विचरण के मार्गों के बदलने के कारण होने वाले मानव-वन्यजीवों टकराव को कम करने के लिए। योजना निम्नानुसार कार्यों का प्रस्ताव है;

- कोरिडोर में वृक्षारोपण
- जल स्रोतों का विकास
- आक्रामक खरपतवारों को हटाना
- महत्वपूर्ण मार्गों को मजबूत करने के लिए निजी या राजस्व भूमि का अधिग्रहण

इसके अतिरिक्त, हाथियों के आने के अलर्ट के लिए भूकंप संवेदी प्रणाली और व्यस्त सड़कों के हिस्सों पर अंडरपास/ओवरपास जैसे टेक्नोलॉजी और अवसरंचनाओं पर , टकराव रोकने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.3, प्रदर्श-8 से 10, चित्र-6 से 7 देखें)।

3.4 वर्षाजल संवर्धन (Rain Water Harvesting- RWH)

भू जल स्तर में गिरावट को देखते हुए, यह योजना जल सुरक्षा और पारिस्थितिक तंत्र को मज़बूती देने की योजना के तौर पर वर्षा जल संवर्धन को प्राथमिकता देती है। कृषि और गैर कृषि कार्यों में उपयोग के लिए , एक निर्धारित आकार से बड़े सभी नए शासकीय और नए निजी प्रतिष्ठानों के लिए रेनवॉटर हार्वेस्टिंग आवश्यक है, जिसे विभिन्न पायलट प्रोजेक्ट्स के ज़रिए दिखाया गया है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.4 देखें)।

निष्कर्ष: संस्थागत प्रोत्साहनों से समर्थित बारिश का पानी इकट्ठा करने की संस्कृति, संजय डुबरी की सतत जल भंडार के भविष्य की कुंजी है।

3.5 नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन

विनियमन के बिना, कचरा निपटान पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के सौंदर्य, पारिस्थितिकि और जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, विशेषकर मुख्य पर्यटक स्थलों और उसके आस-पास। इस योजना में एक विकेंद्रीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की कल्पना की गई है, जिसमें शामिल हैं;

- डोर टू डोर कचरा संग्रहण
- स्रोत पर पृथक्करण
- जैविक कचरे से खाद बनाना
- सूखे कचरे का पुनर्चक्रण

स्थानीय सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs) का क्षमता वर्धन, मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ (MRFs) बनाने, और उत्तरदायी अपशिष्ट व्यवहार सिखाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने, और उन्नत सेवा प्रदान करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन और जिला प्रशासन के साथ समन्वय करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.5 देखें)।

3.6 अपशिष्ट जल उपचार

घरों, पर्यटन स्थलों और व्यावसायिक स्थलों की बढ़ती संख्या की वजह से ज्यादा दूषित जल निकल रहा है, जिससे जल स्त्रोतों और मिट्टी के प्रदूषण का खतरा है। इस योजना में विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (डीसेंट्रेलाईज्ड वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट सिस्टम (DEWATS)) का प्रस्ताव है, विशेषकर समूह के गांवों और पर्यटन संवर्धित क्षेत्रों में।

खेती और लैंडस्केपिंग के लिए ग्रेवॉटर के दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाता है ताकि मीठे पानी की मांग कम हो सके, साथ ही ड्रेनेज प्लानिंग को वनस्पति युक्त नालिओं जल अवशोषक खाइयों जैसे हरित अवसरंचना के साथ समेकित किया जा सके जिससे पर्यावरण अनुकूल फिल्ट्रेशन सुनिश्चित हो सके। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.6 देखें)।

3.7 .ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

हालांकि नगर पालिका अपशिष्ट को वृहद स्तर पर देखा जा रहा है, लेकिन यह योजना विशेषतौर पर घरेलू, वाणिज्यिक और पर्यटन से जुड़े ठोस अपशिष्ट को पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के साथ सतत उपायों से प्रबंधित करने पर ध्यान केन्द्रित करती है। यह स्त्रोत पर ही गीला और सूखा कचरा अलग- अलग करने, घर पर कम्पोस्टिंग और समुदाय कम्पोस्ट यूनिट्स की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित करती है।

इस योजना में प्लास्टिक के कम उपयोग और ज़ीरो-वेस्ट तरीकों के बारे में जागरूकता अभियान चलाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। योजना, प्रत्येक गाँव को , स्थानीय स्तर पर कचरे की समस्या हल करने के लिए, व्यवहार में बदलाव और उसे व्यस्थित तरीके से लागू करने के लिए उनका स्वयं का सॉलिड वेस्ट एक्शन प्लान बनाने की सलाह देती है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.7 देखें)।

3.8 जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन

सभी स्वास्थ्य केन्द्रों से जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (बायोमेडिकल वेस्ट) निकलता है, जिसका यदि ठीक से निपटान न किया जाए, तो यह पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकटों का कारण बन सकता है। योजना में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक रूप से अलग- अलग करने, लेबल लगाने और डिस्पोज़ल प्रोटोकॉल अपनाने को अनिवार्य किया गया है। इसमें सभी जैव चिकित्सीय अपशिष्ट उत्पादनकर्ताओं की मैपिंग, मेडिकल स्टाफ को समय-समय पर प्रशिक्षण देने और गांव के स्वास्थ्य केन्द्रों को अधिकृत निपटान सेवा प्रदाता से जोड़ने की भी सलाह दी गई है।

हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (बायोमेडिकल वेस्ट) की मात्रा कम होती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए, इनका सुरक्षित निपटान, स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत बनाता है और पारिस्थितिक रूप से कम देखरेख वाले क्षेत्रों में जल और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.8 देखें)।

3.9 वर्षा जल प्रबंधन

शहरीकरण और नवीन अवसरंचनाएं अक्सर पानी के प्राकृतिक निकासी पैटर्न को बदल देती हैं, जिससे बाढ़ और मिट्टी का कटाव होता है। यह विषयगत योजना लैंडस्केप डिज़ाइन के साथ वर्षा जल प्लानिंग को जोड़ने को बढ़ावा देता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.9 देखें)। योजना में इन प्रयासों को अपनाने की सलाह दी गई है;

- वनस्पति युक्त नालियां (वनस्पति स्वेल्स)
- वर्षा उद्यान
- नालियों के लिए उचित ढलान संरेखण
- प्राकृतिक नालों का जीर्णोद्धार
- चेक बंड्स का रेस्टोरेशन

3.10 वाहनों के यातायात का नियंत्रण

उच्च गति के वाहनों की आवाजाही से , विशेषकर हाईवे और ज़िला सड़कों पर और वन्यजीव कॉरिडोर से गुज़रने से, वन्यजीवों की आबादी के लिए सीधा खतरा पैदा होता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.10 देखें)। योजना में इन बातों की समर्थन किया गया है ;

- गति विनियमन
- साइनेज़
- वन्यजीव क्रॉसिंग
- समय-आधारित वाहन प्रतिबंध
- निर्दिष्ट परिवहन गलियारे
- स्थानीय गतिशीलता और पर्यटन के लिए पर्यावरण के अनुकूल ई-वाहन

3.11संसाधन निष्कर्षण का प्रबंधन

गैर-कानूनी रेत खनन, पत्थर की खदान, और ईंधन या औषधीय पौधों की ज़्यादा कटाई से, पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.11 देखें)। विषय योजना में यह प्रस्ताव है

- निष्कर्षण हॉटस्पॉट का मानचित्रण
- और निगरानी बढ़ाना
- चक्रीय क्रम में उपयोग के साथ विनियमित सामुदायिक निष्कर्षण को बढ़ावा देना
- वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देना (जैसे, एलपीजी, सौर कुकर)

यह तरीका उपयोग में रोक के स्थान पर विनियमित और सतत प्रयोग की ओर मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि समुदाय पारिस्थितिक एकरूपता को संकट में डाले बिना संसाधनों तक पहुँच सकें।

3.12 हानिकारक कचरे का प्रबंधन

एग्रोकेमिकल के बचे हुए हिस्से, ट्रांसपोर्ट से निकले तेल का कचरा, और कभी-कभी ओद्योगिक पानी का निस्सारण, पर्यावरण के लिए संकट उत्पन्न करता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.12 देखें)।

यह सुझाव है कि -

- खतरनाक कचरे के संग्रह केंद्र बनाना
- सुरक्षित निपटान के लिए जागरूकता अभियान शुरू करना
- किसानों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के लिए जागरूकता अभियान शुरू करना।

3.13 सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण

सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए भूजल का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, इसलिए योजना में भूजल निष्कर्षण की सभी जगहों की मैपिंग करने और परमिट के ज़रिए उपयोग को विन्यमित करने की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। यह वॉटर मीटरिंग, ड्रिप इरिगेशन और समुदाय-आधारित ग्राउंडवाटर मॉनिटरिंग को बढ़ावा देता है। योजना में कम ध्यान केन्द्रित क्षेत्रों में ज़्यादा पानी उपयोग करने वाली फसलों को सीमित करने के लिए पॉलिसी बनाने का भी सुझाव दिया गया है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.13 देखें)।

3.14 जल के प्राकृतिक स्त्रोतों का संरक्षण

प्राकृतिक झरने, तालाब और पुनर्भरण क्षेत्र पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। (खंड 2, अनुलग्नक-3, अध्याय 3, अनुभाग 3.14 देखें) । योजना में स्थानीय उपयोगकर्ता समूहों और ग्राम परिषदों के साथ भागीदारी से जल स्रोत संरक्षण योजनाओं का प्रस्ताव है, जिसमे निम्न पर ध्यान केन्द्रित किया गया है;

- वनीकरण
- पुनर्भरण क्षेत्रों पर बाड़ लगाना
- पानी के स्त्रोतों के आसपास कचरा फेंकने पर रोक लगाना।

3.15 जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना

अनियमित बारिश, बढ़ता तापमान और जंगल की बढ़ती आग जैसी जलवायु समस्याओं के लिए एक दूरदर्शी योजना की आवश्यकता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.15 देखें)। इसमें इन चीज़ों को बढ़ावा देना शामिल है;

- सूखा प्रतिरोधी फसलें
- ईंधन-कुशल प्रौद्योगिकियां

- प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ
- संस्थागत तैयारी

इस योजना में क्लाइमेट चेंज पर स्टेट एक्शन योजना (SAPCC) के साथ समावेशन का सुझाव दिया गया है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 8, सेक्शन 8.2 देखें)।

3.16 पर्यटन और विरासत संरक्षण (उप-क्षेत्रीय पर्यटन योजना)

योजना में इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुन्दरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर आधारित, संरक्षण अनुकूल और सामुदायिक उन्मुख गतिविधियों का प्रस्ताव है। इस योजना का उद्देश्य कम से कम पारिस्थितकीय व्यवधान के, सावधानी पूर्वक ज़ोन किए गए सहभागिता युक्त पर्यटन मोडल के माध्यम से स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के अवसर उत्पन्न करना है। (खण्ड-2, परिशिष्ट 3, अनुभाग 3.16)

3.16.1 दृष्टिकोण और उद्देश्य

पर्यटन दृष्टिकोण , कम हानिकारक प्रभाव वाले इको पर्यटन को प्रोत्साहित करता है, जो पर्यावरणीय शिक्षा को बढाता है, सांस्कृतिक सरंक्षण का समर्थन करता है तथा स्थानीय समुदाय को सीधे आर्थिक लाभ प्रदान करता है। उद्देश्य , प्रकृति और विरासत आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित करना, सामुदायिक क्षमता में सुधार करना तथा यह सुनिश्चित करना कि अधोसरंचनात्मक गतिविधियाँ सतत पर्यटन का पालन करें, है।

3.16.2 पर्यटन स्थलों की पहचान

संभावित पर्यटन स्थलों की पहचान, पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता, सुन्दर दृश्य और सांस्कृतिक महत्वों के आधार पर की गई है। नेबुहा और बंजारी जैसे स्थलों को इको पर्यटन हेतु प्राथमिकता दी गई है। ये स्थल , प्राकृतिक स्थलों जैसे नदियाँ, घास के मैदान, सुन्दर वनों तथा सांस्कृतिक विरासत (मंदिर, आदिवासी बस्तियां, पुरानी गुफाएँ) का अदभुद संगम हैं।

3.16.3 पर्यटन अवसरंचानाएं

योजना में , पर्यावरण के अनुकूल और स्थानीय स्तर पर प्रबंधित किए जाने योग्य अवसरंचनायें बनाने के सलाह दी गई है। जिनमें प्रमुख हैं -

- इको -कैंप साइट्स और व्याख्या केंद्र
- नेचर ट्रेल्स, बर्ड वाचिंग प्लेटफॉर्म और साइनेज सिस्टम,
- स्थानीय वस्तुओं) बांस ,पत्थर ,मिट्टी (और नवीकृत उर्जा प्रणाली (सोलर लाइटिंग, ड्राई टॉयलेट) का उपयोग।

अधोसरंचनाएँ इस प्रकार निर्मित की जायेंगीं जो न केवल आगंतुकों को सुविधायें प्रदान करेंगी अपितु स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए इन सुविधाओं के संचालन तथा अतिथि सत्कार जैसे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएंगी।

3.16.4 समुदाय की क्षमता निर्माण

समुदाय को सशक्त करना पर्यटन मोडल का केंद्र बिंदु है। योजना में इन बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है –

- अतिथि सत्कार ,पर्यटक गाइड ,हेंडीक्राफ्ट ,स्थानीय व्यंजन।
- पर्यटन कार्यों को प्रबंधित करने और नियंत्रित करने के लिए ग्राम पर्यटन समितियां और स्वयं सहायता समूहों का गठन।
- सफल इको पर्यटन स्थल पर एक्सपोज़र विजिट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सहयोग।

3.16.5 व्याख्या केंद्र (इंटरप्रिटेशन सेंटर)

पर्यावरणीय और सांस्कृतिक जागरूकता को प्रोत्साहन देने के लिए बड़े पर्यटन स्थलों पर पर्यटन व्याख्या केन्द्रों का प्रस्ताव है। ये व्याख्या केंद्र, दृश्य – श्रवण साधनों और स्थानीय स्त्रोत से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग कर यहाँ के वन्यजीव, वन पारिस्थितिकी, स्थानीय परम्पराओं और आदिवासी ज्ञान प्रणालियों पर रोचक प्रस्तुति करेंगे। ये केंद्र उत्तरदायी पर्यटन व्यवहार के लिए मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करेंगें।

3.17 कृषि और पशुधन प्रबंधन

पारंपरिक खेती और बिना नियम के चराई से जंगल के किनारे प्रभावित हो रहे हैं। योजना में कृषि वानिकी, जैविक कृषि, बेहतर नस्ल के पशु , स्टॉल फीडिंग जैसे सतत उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। यह दूसरी फसलों के लिए चारे के विकास, प्रशिक्षण और मार्केट लिंकेज को बढ़ावा देता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.17, प्रदर्श 16 से 19 देखें)।

3.18 कुटीर उद्योंगों को प्रोत्साहन देना

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में क्राफ्ट, जंगल के प्रोडक्ट और सांस्कृतिक वस्तुओं में स्थानीय एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत संभावनाएं है। यह विषयगत योजना स्वयं सहायता समूहों और कारीगरों के लिए प्रशिक्षण, डिज़ाइन सपोर्ट, ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देता है। गांव की अर्थव्यस्था में विविधता लाने और वनों पर निर्भरता कम करने के लिए कोशल विकास प्रोग्राम के साथ अभिसरण पर भी ध्यान केन्द्रित दिया गया है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.18 देखें)।

3.19 प्रदूषण कम करना

ईएसजेड के भीतर , सड़कों, बस्तियों और पर्यटन गतिविधियों से वायु, जल, ध्वनि और भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है (खंड 2, अनुलग्नक-3, अध्याय 3, अनुभाग 3.19 देखें)। योजना, सक्रिय प्रदूषण नियंत्रण/शमन उपायों पर केंद्रित है जैसे;

- धूल की रोकथाम
- दूषित स्थलों का जैवउपचार
- पटाखों के विनियमित उपयोग

- बफर बेल्ट का रोपण
- निरंतर प्रदूषण निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली

3.20 मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) प्रबंधन

मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं (जिसके कारण , फसलों का नुकसान, पशुओं का नुकसान, और इंसानों की मृत्यु) बढ़ रही हैं।

इस योजना में इन बढ़ती समस्याओं से निपटने के लिए बायो-फेंसिंग, मुआवज़े की योजना, जल्दी चेतावनी देने वाले सिस्टम और सामुदायिक प्रतिक्रिया दल को प्रशिक्षण का प्रस्ताव है। दीर्घकालिक योजना में हैबिटैट पुनर्स्थापना और पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के अंदर ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों को कम करने के लिए बेहतर भू उपयोग प्लानिंग शामिल है। (खण्ड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 3, सेक्शन 3.20, टेबल-3 देखें)

अध्याय 4 आजीविका के विषय

4.1 हितधारकों से परामर्श

यह योजना, संजय डुबरी में रहने वाले समुदायों की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता और आजीविका की चुनौतियों को जानने के लिए , हितधारक सम्बद्धता की प्रक्रिया पर प्रकाश डालती है। थाडीपाथर , खोखरा और बस्तुआ सहित कई गावों में सहभागी ग्रामीण मूल्याकन (पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेज़ल) , केन्द्रित समूह चर्चाओं (फोकस ग्रुप डिस्कशन (FGDs)) और अर्ध संरचित इंटरव्यू (सेमी-स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू) किए गए।

इन चर्चाओं में , वर्तमान आजीविका पर निर्भरता, संरक्षण नीतियों के बारे में सोच और अन्य आय के साधनों की आकांक्षा के संबंध में आवश्यक जानकारियां प्राप्त हुईं। परामर्श से ज्ञात हुआ कि अधिकांश परिवार वनों के संसाधनों जैसे जलाऊ लकड़ी, चारा, गैर काष्ठ वन उपज पर बहुत अधिक निर्भर हैं और उन्हें वर्ष में कई अवसरों पर बेरोजगारी, बाजारों तक पहुँच तथा कोशल आधारित रोजगार के विकल्पों के कमी का सामना करना पड़ता है। महिलाओं और पिछड़े तबके ने विशेष रूप से सबकी भागीदारी से आजीविका की योजना और अधिक से अधिक संस्थागत सहयोग की आवश्यकताएं बताई। (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 4 , अनुभाग 4.1)

4.2 पारिस्थितिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना

परामर्श के दौरान संज्ञान में आई समस्याओं के निराकरण हेतु वनों से जुड़े संसाधनों पर निर्भरता कम करने और स्थानीय आय में वृद्धि करने के लिए कई प्रकार की पारिस्थितिक विकास गतिविधियों का प्रस्ताव है। ये गतिविधियाँ पर्यावरण के लिए टिकाऊ, स्थानीय रूप से और आर्थिक रूप से लाभप्रद हैं। (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 4 , अनुभाग 4.2)

प्रस्तावित गतिविधियों में निम्नलिखित हैं -

- वृक्षारोपण और स्थानीय पौधों को उगाने के लिए सामुदायिक नर्सरी
- वर्मीकम्पोस्टिंग, मशरूम की खेती, ऑर्गेनिक खेती और बायो-फेंसिंग को बढ़ावा देना।
- मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन और बैकयार्ड लाइवस्टॉक यूनिट के माध्यम से आजीविका में विविधता लाना।
- जंगलों पर खुले में चराई का दबाव कम करने के लिए गोशालाएँ (मवेशी शेल्टर) बनाना।
- इको-टूरिज़्म पहल के तहत होमस्टे, बांस से बने क्राफ्ट और स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्यम जैसे प्रोयोगिक प्रयास।

इको-डेवलपमेंट गतिविधियाँ न केवल आय में वृद्धि करने बल्कि स्थानीय समुदायों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनके प्रति अपनापन की भावना जगाने के लिए तैयार की गई हैं। जूरी और खोखर जैसे गाँव इसकी सफलता के उदाहरण हैं।

4.3 माइक्रो प्लान तैयार करना

यह योजना , ग्राम स्तर के माइक्रो प्लान तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में बताती है, जो समग्र आजीविका और संरक्षण योजना के लिए नीचे से ऊपर तक के साधन के रूप में काम करते हैं। माइक्रो प्लान तैयार करने की प्रक्रिया में विस्तृत बेसलाइन सर्वे , प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग, रहवासियों की प्रोफाइलिंग और संवेदनशीलता का आकलन सम्मिलित है। प्रत्येक माइक्रो प्लान, आजीविकाओं की प्राथमिकता, संसाधनों की कमी, किये जाने योग्य प्रयासों और क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं की पहचान करता है। माइक्रो प्लान को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित भी किया जा सकता है। जैसे किसी ग्राम विशेष में वहां पर गैर काष्ठ वन उपज पर निर्भरता या गाँव के किसी पर्यटन क्षेत्र से समीपता होने पर माइक्रो प्लान को विद्यमान शासकीय योजनाओं के साथ संयुक्त किया जा सकता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 4 , अनुभाग 4.3)

माइक्रो प्लान को , वैधता स्वामित्व और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभाओं पारिस्थितिक विकास समितियां और ग्राम स्तर के हितधारकों को शामिल करके भागीदारी पूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया है। माइक्रो प्लान , पारिस्थितिक पर्यटन से की दृष्टि से बनाने और विभागों में संरक्षण के अवसरों की पहचान करने के लिए एक साधन की तरह भी कार्य करते हैं

4.4 माइक्रो-प्लान का क्रियान्वयन

माइक्रो-प्लान का सफल क्रियान्वयन , संस्थागत अभिसरण और सशक्त सामुदायिक संस्थाओं पर निर्भर करता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 4 , अनुभाग 4.4)।

माइक्रो प्लान में ये सुझाव दिए गए हैं:

- माइक्रो-प्लान में बताई गई गतिविधियों का वित्त पोषण प्रचलित शासकीय योजनाएं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा प्रधामंत्री , कृषि सिंचाई योजना आदि (PMKSY) से अभिसरण (Covergence) केमाध्यम से किया जा सकता है।
- निगरानी ,शिकायत निवारण और सेवा प्रदान करने के लिए ,पारिस्थितिक विकास समितियों (EDCs) संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (JFMCs) को मुख्य संस्थाओं के रूप में संचालित करना।
- प्रशिक्षण ,एक्स्पोसर विजिट और तकनीकि के सहयोग से समुदायों की क्षमता का निर्माण करना।
- एक मोनिटरिंग रुपरेखा बनाना ,जो तय संकेतकों जैसे घरेलु , आय के स्त्रोतों में विविधता ,वनों पर निर्भरता कम करना ,महिलाओं की भागीदारी ,के आधार पर प्रगति का आंकलन करने में सहायक होगी।

क्रियान्वयन को , पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में पहचाने गए सभी 90 से अधिक गांवों तक विस्तारित करने से पहले, चरणबद्ध तरीके से , प्रोयोगिक तौर पर कुछ गाँवो में लागू करने का प्रस्ताव हैं। यह चरणबद्ध उपाय, अनुकूली शिक्षा और सामुदायिक फीडबैक का समावेश सुनिश्चित करते हैं।

अध्याय 5 उप क्षेत्रीय (सब जोनल) पर्यटन योजना

5.1 सतत पर्यटन को प्रोत्साहन

संजय डुबरी में , पर्यटन , सरंक्षण- विकास का एक प्रमुख कारक माना जाता है। यह अध्याय, प्रकृति आधारित, समुदाय अग्र पर्यटन अर्थव्यस्था निर्मित करने के दृष्टिकोण से प्रारंभ होता है जो, पारिस्थितिक रूप से सौम्य, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और आर्थिक रूप से सशक्त हो।

योजना का मुख्य आधार जोनिंग है जो , पारिस्थतिकीय संवेदनशीलता और समुदाय की तत्परता के आधार पर पर्यटन गतिविधियों को दर्शाता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 5 , अनुभाग 5.1)

5.1.1 पर्यटन सेक्टर के दृष्टिकोण और उद्देश्य

पर्यटन दृष्टिकोण, कम प्रभाव युक्त पर्यटन हब का एक नेटवर्क बनाने पर ध्यान केन्द्रित करता है जो सरंक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए , वन्यजीव, संस्कृति तथा ग्रामीण जीवन का अनुभव देता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 5, अनुभाग 5.1.1)

प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं -

- इको-पर्यटन के माध्यम से स्थानीय आजीविका को बढ़ाना।
- विनियमन और जोनिंग के माध्यम से नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और संजय डुबरी को समृद्ध जैव विविधता सुंदर परिदृश्य और सांस्कृतिक विशिष्टता वाले गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना। ,

5.1.2 पर्यटन सम्पदाएँ , ज़ोन और सर्किट

विभिन्न पर्यटन संपदाओं की भिन्न- भिन्न विशेषताओं का आरेखन किया गया है और उन्हें विद्यमान और संभावित पर्यटन संपदाओं के तौर पर वर्गीकृत किया गया है:-

- बनास नदी, बिर्चुली के घास के मैदान और सुंदर घाटियाँ जैसे प्राकृतिक आकर्षण।
- सांस्कृतिक और मानव निर्मित विरासतें जसे पुराने रॉक शेल्टर, मंदिर और पारंपरिक गाँव।

ज़ोन को कोर पर्यटन ज़ोन (CTZ), बफ़र पर्यटन ज़ोन (BTZ), और कम्युनिटी इको पर्यटन ज़ोन (CETZ) में परिभाषित किया गया है, इनमें से प्रत्येक, विशेष पर्यटन थीम और प्रबंधन तीव्रता को पूरा करता है। (खण्ड 2, परिशिष्ट 7 तथा परिशिष्ट 3, अध्याय 5, अनुभाग 5.1.2 देखें)। इनके अतिरिक्त , पर्यटन सर्किट इनके आस-पास प्रस्तावित किए गए हैं:

- मड़वासग्राम, जो सांस्कृतिक गाँवों को जोड़ता है।
- बांधवगढ़, जो एक वाइल्डलाइफ हेरिटेज रूट बनाता है।
- थाडीपाथर और नेबुहा, जो इको कैंपिंग और नदी किनारे-पर्यटन स्थल हैं।

5.1.3 संभावित पर्यटन स्थल, ज़ोन और सर्किट

निम्नलिखित स्थलों पर अधोसरंचना विकसित करने और बेहतरपर्यटन अनुभवों के लिए स्थल विशिष्ट आकलन किए गए हैं , जैसे :

– पर्यटन संवर्धन क्षेत्र (TPA-1) नेबुहा: जिनमें इको कैंप और नेचर ट्रेल्स हैं ।
– पर्यटन संवर्धन क्षेत्र (TPA-2) बंजारी : जिसमें होम स्टे, सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्याख्या केंद्र हैं ।

ये पर्यटन सर्किट, वनों के पथ (ट्रेल्स) , जल निकाय, विरासत स्मारक और आदिवासी बस्तियों को आगंतुकों के यात्रा कार्यक्रम में शामिल करते हैं। (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 5, अनुभाग 5.1.3 देखें)।

5.1.4 पर्यटन पूर्वानुमान और चुनौतियाँ

पूर्व प्रवृत्तियां और प्रस्तावित सर्किट विकास के आधार पर पर्यटन अनुमान बताते हैं कि आगंतुकों की संख्या में हर साल 5-8% की वृद्धि दर्शाते हैं । (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 5, अनुभाग 5.1.4 देखें)।

यद्यपि कुछ चुनौतियाँ की पहचानी की गई हैं:

- खराब आंतरिक सड़क मार्ग और सड़कों की स्थिति।
- कम कुशल मानव संसाधन ।
- मानक इको पर्यटन सेवाओं का न होना।
- वहन क्षमता में उल्लंघन और कचरे के प्रबंधन में कमी।

5.1.5 पर्यटन संवर्धन क्षेत्र (TPA) का निरूपण

स्थल और विनियामक विषयों को ध्यान में रखते हुए , दो पर्यटन संवर्धन क्षेत्र सीमांकित किए गए हैं । (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 5, अनुभाग 5.1.5 देखें)

- पर्यटन संवर्धन क्षेत्र (TPA) -1 (नेबुहा) और पर्यटन संवर्धन क्षेत्र (TPA) – 2 (बंजारी) को अधोसरंचना विकास के लिए प्राथमिकता दी गई है।
- शासकीय भूखंडो को , ईकोलॉज-, वॉच टावर, सैनिटेशन ब्लॉक और इंटरप्रिटेशन नोड्स के लिए आरेखन किया गया है।
- प्रत्येक पर्यटन संवर्धन क्षेत्र में जो गतिविधियां अनुमत हैं, उन्हें स्पष्ट तौर पर बताया गया है, जिसमें पर्यावरणीय सेफगार्ड और हितधारकों की भूमिकाएं तय की गई हैं।

5.1.6 पर्यटन संवर्धन क्षेत्र की वहन क्षमता का निर्धारण

यह योजना एक वहन क्षमता रुपरेखा प्रदर्शित करता हैं , जिसमें शामिल हैं:

- प्राकृतिक क्षमता (वाहनों के सीमा, आगंतुक संख्या , ट्रेल की चौड़ाई) ।

- सामाजिक क्षमता (स्थानीय समुदाय के प्रति सहनशीलता)
- पारिस्थितिक क्षमता (बायोडायवर्सिटी तथा संसाधनों के उपयोग पर प्रभाव)
- अधोसरंचानात्मक क्षमता (स्वच्छता, पानी की उपलब्धता, अपशिष्ट प्रबंधन)

पर्यटन संवर्धन क्षेत्र -1 के लिए विस्तृत विधि और गणना दी गई हैं। विस्तृत विधियाँ और गणनाएँ दी गई हैं (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 5, अनुभाग 5.1.6 देखें), जिसमें प्रतिदिन आगंतुक की अधिकतम सीमा और पारिस्थितिक दुष्प्रभाव से बचने के लिए प्रयास शामिल हैं।

5.2 सरंक्षण शिक्षा

पर्यटन योजना, पर्यावरणीय शिक्षा से गहरी जुड़ी हुई है। (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 5, अनुभाग 5.2 देखें)

इस अनुभाग में बताया गया है:

- व्याख्या केंद्र ,साइनेज और शैक्षणिक ट्रेल्स बनाना।
- पेड़-पौधों, वन्यजीवों और लोककथाओं पर कहानी सुनाना।
- सरंक्षण आचरण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय विद्यालयों और संस्थाओं में आउटरीच प्रोग्राम।

पर्यटकों और स्थानीय निवासियों दोनों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरैक्टिव सामग्री, मोबाइल ऐप और डिजिटल कियोस्क का प्रस्ताव है।

5.3 पर्यटन के लिए प्रबंधन दिशा निर्देश

पारिस्थितिक एकरूपता बनाए बनाए रखने और आगंतुक को गुणवत्तापूर्ण अनुभव प्रदान करने प्रबंधन दिशा निर्देश तय किए गए हैं। (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 5, अनुभाग 5.3 देखें):

- पर्यटक गाइड और टूर ऑपरेटर के लिए कोड ऑफ़ कंडक्ट।
- होमस्टे रजिस्ट्रेशन, गाइड लाइसेंसिंग और मॉनिटरिंग के लिए विनियामकीय रुपरेखा।
- अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली ,वाहनों को अनुमतियाँ ,समय की पाबंदियां।
- गवर्नेंस के लिए टूरिज्म मैनेजमेंट कमेटियों (TMCs) का गठन।

पर्यावरणीय मानकों और लाभ साझेदारी में समता रखने के लिए पर्यटन विकास का निरंतर मूल्यांकन, सहभागिता युक्त निगरानी और योजना में शिकायत निवारण प्रणाली और पर्यटन ऑपरेशन के वार्षिक ऑडिट की भी सलाह दी गई है।

अध्याय 6 अनुसंधान, निगरानी और प्रशिक्षण

6.1 अनुसंधान और निगरानी को प्राथमिकता देना

यह योजना वैज्ञानिक तरीके से नीति बनाने और अनुकूल प्रबंधन को सपोर्ट करने के लिए लक्ष्य आधारित अनुसन्धान की आवश्यकता पर ज़ोर देती है। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 6, सेक्शन 6.1 देखें)। प्राथमिकता में शामिल क्षेत्र हैं:

- मुख्य प्रजातियों (विशेषकर घड़ियाल और दूसरे जलीय जीव) का संरक्षण,
- सोन नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी की गुणवत्ता और बहाव के तरीके में परिवर्तन की निगरानी करना,
- वनस्पति मानचित्रण और वन स्वास्थ्य आकलन,
- प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदायों की सामाजिक-आर्थिक निगरानी,
- जलवायु में परिवर्तनीयता और इसकी संसाधनों तक पहुंच पर प्रभाव तथा संवेदनशीलता ।

ज़ोनल मास्टर प्लान को शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं (जैसे, वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट), और गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय कराया जाएगा ताकि बेसलाइन और रियल-टाइम डेटा सिस्टम से समर्थित एक दीर्घकालिक निगरानी और रिसर्च प्रोटोकॉल बनाया जा सके, जो अनुकूलित प्रबंधन, विनियमन प्रवर्तन और पारिस्थितिक-विकास प्रयासों के प्रभावों को मापने के लिए आवश्यक हैं। अभी पारिस्थितिकीय और सामाजिक-आर्थिक डेटा के लिए कोई केंद्रीकृत ज्ञानकोष नहीं है, जिससे योजना और पॉलिसी के सुधार में बाधाएं आती है।

6.2 कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन का विकास

मानव संसाधन विकास को योजना का एक आवश्यक अंग माना गया है, क्योंकि मैदानी स्तर के लोगों में अक्सर पारिस्थितिक और समुदाय से जुड़ने के कोशल की कमी होती है। कुशल लोगों की कमी, विशेषकर मैदानी स्तर पर, ने सरंक्षण कानूनों को प्रभावशील तरीके से लागू करने और इको-रेस्टोरेशन प्रोग्राम के क्रियान्वयन में बहुत ज़्यादा बाधाएं डाली है। विशेष प्रयासों में शामिल हैं:

- पारिस्थितिक-विकास अधिकारी, फॉरेस्ट वॉचर और जैव विविधता मॉनिटर जैसे समर्पित पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन स्टाफ की नियुक्ति।
- विशेष कार्यों में सहयोग के लिए टेक्निकल लोगों जैसे इकोलॉजिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट, जी आई एस विश्लेषक को अनुबंधित किया जाना ।
- पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन से जुड़ी गतिविधियों की देखरेख के लिए विभागों (जैसे, पर्यटन, प्रदूषण नियंत्रण) में फोकल पॉइंट्स प्रदान करना।

कुशल लोगों की भर्ती और प्रशिक्षण में लगातार निवेश, साथ ही साफ़ जॉब डिस्क्रिप्शन और उत्तरदायी प्रणाली, संस्थागत क्षमता को बढ़ाएंगे और पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन प्रबंधन के निकर्षों को बेहतर बनाएंगे। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 6, सेक्शन 6.2 देखें)

6.3 कौशल विकास और कार्य-स्थल पर प्रशिक्षण

अभी इको-पर्यटन, वानिकी और जैविक कृषि में स्थानीय लोगों की काफी रूचि है, लेकिन इस सम्बन्ध में प्राथमिक जानकारियों तक पहुंच सीमित है। इसके अलावा, ज़्यादातर सरकारी अधिकारियों को पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन प्लानिंग, सामुदायिक भागीदारी या इकोसिस्टम सेवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला है। कोशल विकास, सरकारी स्टाफ और सामुदायिक हितधारकों, दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो इको-विकास परियोजनाओं को लागू करने या उनसे लाभ उठाने में सम्मिलित हैं। योजना में मल्टी-टियर प्रशिक्षण प्रोग्राम बताए गए हैं जिनमें शामिल हैं:

- अग्र पंक्ति के स्टाफ के लिए: जैव विविधता निगरानी, जी पी एस का इस्तेमाल, प्रजातियों की पहचान, टकराव कम करना, गश्त तकनीके।
- समुदाय के सदस्यों के लिए: सहभागी ग्रामीण मूल्याङ्कन (Participatory Rural Appraisal - PRA) विधियाँ , गैर काष्ठ वन उपज (NTFP) मूल्य संवर्धन , इकोपर्यटन गाइडिंग, जैविक कृषि और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- संस्थागत हितधारकों के लिए: अंतर विभागीय समन्वय , एम आई एस (MIS) हैंडलिंग, रिपोर्टिंग सिस्टम।
- प्रशिक्षण, जिला स्तरीय कार्यशाला, चलित प्रशिक्षण इकाई और स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट (SIRD) जैसे प्रशिक्षण इंस्टिट्यूट के साथ भागीदारी के माध्यम से दिया जाएगा।

नियमित अन्तराल पर दिए जाने वाले विकेंद्रीकृत , प्रायोगिक और विषय- विशेष प्रशिक्षण प्रोग्राम, पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन क्रियान्वयन के प्रभाव और एकरूपताओं को बढ़ाएंगे। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 6, सेक्शन 6.3 देखें)

6.4 शिक्षण केंद्र की स्थापना

इस प्लान में संजय डुबरी पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के में एक विशेष पारिस्थितिकी सम्बन्धी शिक्षण और प्रशिक्षण केंद्र बनाने का प्रस्ताव है। यह केंद्र कई उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रस्तावित है जैसे -

- अधिकारियों, समुदाय के सदस्यों, विद्यार्थियों और रिसर्चर्स के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम का आयोजन।
- इकोसिस्टम सर्विसेज़, जैव विविधता और पारंपरिक पारिस्थितिकीय ज्ञान के लिए ज्ञान केंद्र के तौर पर काम करना।
- इसमें एक रिसोर्स लाइब्रेरी, डिजिटल एम आई एस इंटरफ़ेस और दृश्य- श्रवण शैक्षणिक सामग्री होगी।
- विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के साथ रिसर्च पार्टनरशिप और स्टूडेंट इंटर्नशिप को आसान बनाना।

- यह सुविधा, कम्पोस्टिंग, जल संवर्धन, और बायो-फेंसिंग जैसी इको-टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन स्थल के तौर पर भी काम करेगी।

एक केंद्रीकृत शैक्षणिक केंद्र , संस्थागत अनुभव संग्रह को बढ़ाएगा, जीवनपर्यंत शिक्षण को सहयोग करेगा और विशेषज्ञों और समुदायों के बीच ज्ञान वर्धन को बढ़ावा देगा। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 6, सेक्शन 6.4 देखें)

6.5 क्षमता निर्माण और विभिन्न योजनाओं से अभिसरण

दीर्घावधि तक प्रभावशील रहने के लिए, प्लान में अन्तर्विभागीय और अंतरक्षेत्रीय क्षमता वर्धन का सुझाव है ,इसमें शामिल हैं:

  - वन, कृषि, पर्यटन, प्रदूषण नियंत्रण, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के स्टाफ के लिए संयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल।
  - रियल-टाइम रिपोर्टिंग और डेटा विनिमय को प्रयोज्य योग्य करने के लिए एक साझा एम आई एस प्लेटफॉर्म का विकास।
  - संयुक्त समीक्षा और प्रगति का निर्धारण करने के लिए जिला स्तर पर इंटर-एजेंसी टास्क फोर्स बनाना।
- क्षमता निर्माण में बजट, शिक्षण, राशी की उपयोगिता की निगरानी और अनुपालन रिपोर्टिंग भी शामिल है। एन जी ओस (NGOs) और प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रशिक्षण भागीदार के तौर पर शामिल किया जाएगा।

संयुक्त प्रशिक्षण और सरंक्षण प्रणालियों को संस्थागत बनाने सेएक समेकित ज्ञान प्रबंधन प्रणाली के द्वारा समर्थित—समग्र, पारदर्शी और उत्तरदायी पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन गवर्नेंस सुनिश्चित होगा। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 6, सेक्शन 6.5 देखें)

अध्याय 7 बजट

7.1 योजना बजट

योजना में बताए गए प्रस्तावों को लागू करने के लिए योजना अवधि के दौरान लगभग रू 265 करोड़ का अनुमानित बजट होगा। बजट प्रावधानों का मुख्य भाग क्षमता वर्धन, आजीविका विकास, अधोसंरचना को बेहतर बनाना और पर्यावरण प्रबंधन होगा। यह व्यय सामुदायिक जीवन स्तर को बेहतर बनाने और संरक्षित क्षेत्र की पर्यावरण संरक्षण स्थिति को सुधारने के लिए किये जायेंगे। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 7, सेक्शन 7.1 देखें)

7.2 वित्तपोषण का स्रोत

वित्त का अभिसरण, पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के प्रबंधन और प्रोजेक्ट को लागू करने की मुख्य आवश्यकता होगी क्योंकि यह एक विशेष क्षेत्र है जिस पर कई विभागों को एक साथ ध्यान देने की ज़रूरत है। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 7, सेक्शन 7.2 देखें)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA): आजीविका से जुड़ी गतिविधियों, जिनमें पर्यटन उत्पाद के विकास, पौधारोपण, मत्स्य पालन आदि के लिए कुछ प्रोयोगिक योजनाएं (पायलट प्रोजेक्ट्स) शामिल हैं, उन्हें एन आर एल एम और मनरेगा के कार्यक्रमों के तहत शुरू किया जा सकता है। फंड मैनेजर्स को एजेंसियों द्वारा सरंक्षण, विकास या आजीविका से जुड़े विशेष प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए संवेदनशील बनाना होगा।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) प्रोजेक्ट विकास, सुविधाओं की स्थापना और मछली पालन विकास के ऑपरेशन के लिए वित्त पोषण का प्रमुख साधन होगी।

वित्त पोषण का अन्य स्त्रोत नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड (NFDB) हो सकता है , किसानों के लिए मदद, रिसोर्स पर्सन को मानदेय , क्रियान्वयन एजेंसियों को सहायता, उत्तरदायी विभाग लाभार्थी चुनने और फंड पाने के लिए NFDB के साथ समन्वय के लिए ज़िम्मेदार होगा। ऊपर बताए गए अलग-अलग वाइल्डलाइफ़ कंज़र्वेशन प्रोग्राम के अलावा : टाइगर, हाथी और दूसरे वाइल्डलाइफ़ कंज़र्वेशन प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग वाइल्डलाइफ़ एक्शन प्लान मौजूद हैं, जिन्हें पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के मास्टर प्लान के प्रस्तावों के साथ समन्वित किया जा सकता है।

क्षेत्र पुनर्विकास और वृक्षारोपण के लिए स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज (SAPCC) और वित्त को अद्यतन किया जा सकता है क्योंकि कोई भी पोधारोपण कार्यक्रम कार्बन अवशोषण में मदद करेगा। प्रोजेक्ट बनाने, अनुमोदन, स्वीकृति, वित्त का वितरण , मॉनिटरिंग और मूल्यांकन और क्षमता वर्धन का कार्य वन और पर्यावरणीय विभाग जैसी नोडल एजेंसियां कर सकती हैं।

पशुधन और उससे जुड़े बचाव और प्रबंधन कार्यों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) और अन्य पशुधन और कृषि विकास योजनाओं का उपयोग सरंक्षण क्षेत्र के तहत विशेष क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। यहाँ यह ज्ञात है की परियोजना क्षेत्रो के लिए ऐसे प्रयास पहले ही शुरू किये जा चुके हैं ।

7.3 आहरण (ड्राइंग) एवं संवितरण तंत्र

फंड का आहरण और संवितरण, प्रबंधन समिति के अधिकार क्षेत्र में लागू करने के प्रस्तावित संस्थागत फ्रेमवर्क के अनुसार होगा। (खंड 2, परिशिष्ट-3, अध्याय 7, सेक्शन 7.3 देखें)

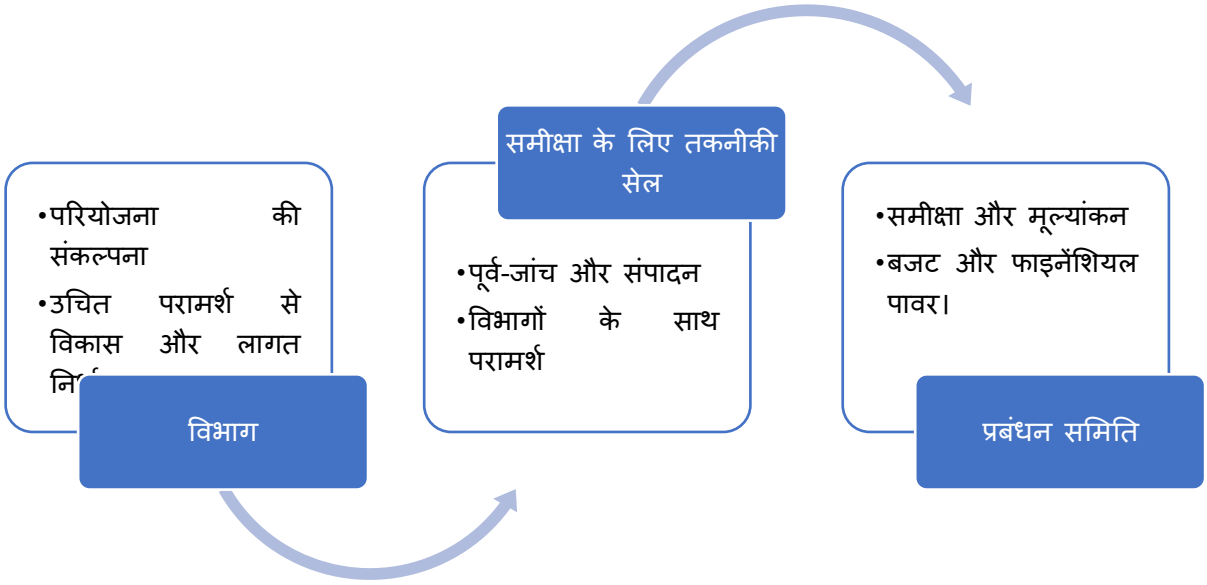

प्रोजेक्ट विकास और विस्तृत लागत का अनुमान लगाने का उत्तरदायित्व तकनीकि प्रकोष्ठ के साथ मिलकर अलग-अलग विभागों का होगा। इसे वित्त के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रबंधन समिति के निर्णय के लिए रखा जाएगा। एक बार जब भुगतान अनुमोदित हो जाएगा, तो इसे सही प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जा सकता है।

अध्याय 8 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन में विनियम

सरंक्षित क्षेत्रों की पहचान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत की गई है। पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को विनियमित और प्रबंधित करके उनके लिए एक तरह का "शॉक एब्जॉर्बर" बनाना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन (ESZs) घोषित करने के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए थे, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना था, ताकि संरक्षित क्षेत्रों के संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने एक गजट अधिसूचना के माध्यम से संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन अधिसूचित किया है। यह अभ्यारण्य 1674.512 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में विस्तारित है, जिसमें 812.58 वर्ग किलोमीटर में सरंक्षित क्षेत्र और 861.93 वर्ग किलोमीटर में बफर क्षेत्र है तथा यह अभ्यारण मध्य प्रदेश के सीधी ,सिंगरौली और शहडोल जिलों में फैला हुआ है।

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन अधिसूचना और निरंतर विभागीय बैठकों में की गई की सिफारिशों के अनुसार, जोनल मास्टर प्लान में ये विशेष अनुभाग शामिल हैं:

क) विकास के लिए स्थान विशेष ज़ोन (सुझाए गए) (अध्याय 2 देखें)
ख) सुझाये गए पर्यटन संवर्धन क्षेत्र अध्याय 5, सेक्शन 5.1.6 देखें)
ग) गैर स्थानिक (प्रतिबंधित, विनियमित और संवर्धित गतिविधियाँ)
घ) प्रबंधन दिशा निर्देश और नीतियाँ (अध्याय 5, सेक्शन 5.3 देखें)
ङ) प्रयोगिक (पायलट) प्रोजेक्ट और क्रियान्वयन (अध्याय 3 देखें)
च) विनियामक क्षेत्र

अगला अनुभाग, उपरोक्त (च) 'विनियामक क्षेत्र' कीऔर विस्तार से व्याख्या करता है।

8.1 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन क्षेत्र में अनुमति जारी करना

पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन क्षेत्र में अनुमति जारी करने के लिए नीचे दी गई प्रकिया का अनुसरण किया जायेगा

1. पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के जोनल मास्टर प्लान, क्षेत्र में निहित किसी भी भूमि के भू उपयोग अथवा भू आवरण को परिभाषित नहीं करते हैं। (खण्ड 2 के परिशिष्ट 3 का अध्याय 2 , सुझावात्मक भू उपयोग जोनिंग देखें)
2. अनुमति, पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन अधिसूचना में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, केवल उन गतिविधियों के लिए जारी की जाएगी जो अनुज्ञात हैं। (खण्ड 2 के परिशिष्ट 3 का अध्याय 2 के सेक्शन 2.6 और 2.7 देखें)
3. विनियमित और संवर्धित गतिविधियों के लिए अनुमति, नियामक प्राधिकरण द्वारा मॉनीटरी समिति की सिफारिश के बाद इस पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन , आंचलिक महायोजना में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी। (खण्ड 2 के परिशिष्ट 3 के अध्याय 8 का सेक्शन 8.3 देखें)

4. उन गतिविधियों के लिए अनुमति , जो पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन अधिसूचना या इस पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन आंचलिक महायोजना में वर्णित नहीं है, विनियामक प्राधिकरण द्वारा मॉनीटरी समिति की सिफारिश के बाद दी जाएगी। (खण्ड 2 के परिशिष्ट 3 के अध्याय 8 का सेक्शन 8.3 देखें)
5. इस पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन महायोजना के प्रावधानों के अनुसार, विनियमित और संवर्धित गतिविधियां, संवेदी ज़ोन के किसी विशेष स्थान पर , जिसे खण्ड 2 के परिशिष्ट 3 के अध्याय 2 में परिभाषित किया गया है, अनुमत हैं।
6. संवेदी ज़ोन के अंदर अनुमतियॉं इन आधारों पर दी जाएगी:
   - अ. खण्ड 2, परिशिष्ट 3 , अध्याय 8 के अनुभाग 8.2 सारणी 11 में पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के गतिविधि वर्गीकरण।
   - आ. पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के संवेदी ज़ोन। खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 8 अनुभा 8.2 , मैप नंबर 37 एवं 38 देखें।

7. संवेदी ज़ोन के बाहर के क्षेत्र के लिए, इस पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन आंचलिक महायोजना के अध्याय 2 में सुझावात्मक ज़ोन की पहचान की गई है, मॉनीटरी कमेटी की सिफारिश के बाद विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी जाएगी । संबंधित विभाग से अनुमति लेने से पहले इस पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन आंचलिक महायोजना के विषय योजना (अध्याय 3) और प्रबंधन दिशा निर्देश (अध्याय 5) पर विचार किया जाएगा।
8. निर्माण विनियमों के सम्बन्ध में भूमि विकास नियम 2012 या उसके बाद के विनियमों का पालन किया जाएगा।
9. नियामक प्राधिकरणों की सूची खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 8 के अनुभाग 8.3 में दी गई है।

8.2 संवेदनशील क्षेत्र:

सभी हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर और दिनांक **10/10/2024, 08/11/2024, 14/05/2025,** और **16/09/2025** को हुई पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी अतर्राज्यीय विभागीय बैठकों के कार्यवाही विवरण अनुसार, संवेदनशील क्षेत्रों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

(I) **संरक्षित क्षेत्र से 1 किमी की दूरी :** जून **2022** के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अप्रैल **2023** में बाद में किए गए संशोधन के अनुसार**,** यह कोर टाइगर रिजर्व या पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन **(ESZ)** की सीमा से **1** किलोमीटर तक इनमें से जो भी समीप हो**,** फैली एक सुरक्षात्मक सीमा है**,** इसका मुख्य उद्देश्य मानवीय प्रभाव को कम करना है**,** इसलिए किसी भी नए वाणिज्यिक निर्माण पर प्रतिबंध है। (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 8 ,अनुभाग 8.1 देखें)

(II) **तीव्र पहाड़ी ढलान (≥ 20°) :** इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ढलान वाले क्षेत्र शामिल हैं**,** जो कटाव और भूस्खलन के प्रति संवेदनशील हैं। मिट्टी की स्थिरता बनाए रखने और पर्यावरणीय गिरावट को रोकने के लिए इन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में**,** केवल स्थानीय लोगों को ही अपनी भूमि पर अपने आवासीय उपयोग के लिए निर्माण करने, मौजूदा सड़कों को चौड़ा और मजबूत करने तथा नई सड़कों के निर्माण करने ,बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के निर्माण और नवीनीकरण की तथा पहले से प्रचलित वर्तमान गतिविधियों की अनुमति होगी। (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 8 ,अनुभाग 8.1 देखें)

(III) **जल निकाय संरक्षण क्षेत्र (ग्रीन बफर) :** ये क्षेत्र जल निकायों (झीलों, नदियों आदि) को घेरे हुए हैं और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनका उद्देश्य प्रदूषण को रोकना और नदी के किनारे के पर्यावासों की रक्षा करना है। (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 8 ,अनुभाग 8.1 देखें)

बड़े जल निकायों/आर्द्रभूमि, प्रमुख धाराओं और जल प्रवाह चैनलों के लिए ग्रीन बफर या मनोरंजक क्षेत्रों का प्रस्ताव है और बफर क्षेत्र में कोई भी निर्माण गतिविधि प्रस्तावित नहीं की जानी चाहिए। निम्नलिखित बफर प्रस्तावित हैं:[1]

- बड़ी नदियों और झीलों की एच एफ एल / एफ टी एल से कम से कम 50 मी
- छोटे जल निकायों जैसे तालाब और धाराओं के किनारों से कम से कम 15 मी बफर कृषि एवं अन्य सम्बंधित गतिविधियाँ जल निकायों के बफर में अनुमत होंगीं

(IV) **अनाच्छादित क्षेत्र :** ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वनस्पति आवरण काफी कम हो गया है, जिससे मिट्टी का कटाव और जैव विविधता में कमी आई है। इन क्षेत्रों में रीस्टोरेशन और वनीकरण के प्रयासों को प्राथमिकता दी गई है। (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 8 ,अनुभाग 8.1 देखें)

(V) **धार्मिक महत्व के स्थान :** ये वे क्षेत्र हैं जिनका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। इन्हें सावधानी से देख-रेख की आवश्यकता है, जिससे, धार्मिक आवश्यकताओं और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाया जाए। सभी धार्मिक स्थल, जो सरंक्षित क्षेत्र और पहाड़ी ढलान से 1 किमी की सीमा में स्थित हैं, उनके लिए विनियमन मानदंड स्पष्ट परिभाषित किये जायेंगे और कोई भी विकास कार्य, मंदिर विकास की विद्यमान शर्तों के अधीन अनुमत किया जाएगा। (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 8 ,अनुभाग 8.1 देखें)

(VI) **शांत क्षेत्र :** शांत क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और इसे संरक्षित क्षेत्र **(Protected Area-PA)** सीमा के **1** किमी के भीतर लागू किया जाना चाहिए, जहाँ दिन के समय अनुमेय ध्वनि स्तर **50 dB(A)** और रात के समय **40 dB(A)** होना चाहिए। संरक्षित क्षेत्र से एक किमी से परे पूरे पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के लिए, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, **2000** के अनुसार दिन के समय अनुमेय ध्वनि स्तर **65 dB(A)** और रात के समय **55 dB(A)** की सीमा होनी चाहिए। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार ध्वनि प्रदूषण को रोका और नियंत्रित किया जाना चाहिए। (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 8 ,अनुभाग 8.1 देखें)

(VII) **टाइगर कॉरिडोर :** राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा टाइगर कॉरिडोर में विकास के लिए प्रकाशित दिशानिर्देशों के अनुसार। (परिशिष्ट-10 , विनियामक ज़ोन एवं खसरा – टाइगर कोरिडोर अंतर्गत आ रहे आरेखन किए क्षेत्र हेतु) निम्नलिखित नियम हैं। (खण्ड 2, परिशिष्ट 3, अध्याय 8 ,अनुभाग 8.1 देखें और परिशिष्ट 10)

क) आवासीय निर्माण सभी आबादी भूमि में और आबादी भूमि से **100** मीटर की दूरी तक अनुमत होगा।

ख) गैर-आबादी भूमि में, **0.1** के **FAR** प्रतिबंध के साथ आवासीय निर्माण की अनुमति है।

ग) सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण केवल वन विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही अनुमत होगा। (वन्यजीव बोर्ड)

---

[1] कृपया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, नई दिल्ली द्वारा जारी 'अर्बन वेटलैंड/वॉटर बॉडीज़ मैनेजमेंट गाइडलाइंस' देखें।

घ) अधोसरंचानाओं और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीनीकरण करने की अनुमति है।

ङ) टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र में कोई नया वाणिज्यिक निर्माण करने की अनुमति नहीं है।

8.3 पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के अधिसूचना अनुसार विनियम

शासन द्वारा पारिस्थितिक संवदी ज़ोन में कतिपय गतिविधियों को विनियमित एवं संवर्धित गतिविधियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। (खण्ड 2, परिशिष्ठ -3, अध्याय 8, सेक्शन 8.2 देखें)

8.4 विनियामक प्राधिकरण

खण्ड 2, परिशिष्ठ -2, अध्याय 8, सेक्शन 8.3 देखें।

क्रम संख्या	विनियमित गतिविधियाँ	विनियामक प्राधिकरण
1	होटल और रिसॉर्ट का कमर्शियल प्रतिष्ठान।	राजस्व और वन विभाग, स्थानीय निकाय
2	निर्माण गतिविधियाँ	राजस्व और वन विभाग, स्थानीय निकाय
3	छोटे पैमाने के प्रदूषण रहित उद्योग।	राजस्व और स्थानीय निकाय
4	कमर्शियल बकरी और भेड़ पालन	राजस्व और स्थानीय निकाय
5	वृक्षों की कटाई	राजस्व एवं वन विभाग, स्थानीय निकाय
6	बकरी पालन	स्थानीय निकाय
7	वन उत्पादों या गैर-लकड़ी वन उत्पादों (NTFP) का संग्रह।	स्थानीय निकाय
8	प्रवासी चरवाहे	स्थानीय निकाय, वन विभाग
9	बिजली और संचार टावरों की स्थापना और केबल और अन्य बुनियादी ढांचे बिछाना	राजस्व विभाग, स्थानीय निकाय, डिस्कॉम
10	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा	राजस्व और वन विभाग, स्थानीय निकाय
11	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और मज़बूत बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	राजस्व और वन विभाग, स्थानीय निकाय
12	पर्यटन से सम्बंधित अन्य गतिविधियाँ जैसे हॉट एयर बलून हेलीकाप्टर ड्रोन माइक्रो लिट् का पसिस्थितिक संवेदी जोन के ऊपर से उड़ना	राजस्व और वन विभाग, स्थानीय निकाय

क्रम संख्या	विनियमित गतिविधियाँ	विनियामक प्राधिकरण
13	पहाड़ी ढलानों और नदी किनारों की सुरक्षा।	स्थानीय निकाय, कलेक्टर
14	रात में वाहनों की आवाजाही।	स्थानीय निकाय, वन विभाग
15	स्थानीय समुदायों द्वारा डेयरी, डेयरी फार्मिंग और एक्वाकल्चर के साथ-साथ चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियाँ।	स्थानीय निकाय
16	उपचारित किए गए अपशिष्ट जल/बहिःस्राव को प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में छोड़ना।	स्थानीय निकाय, एमपीपीसीबी
17	सतही और भूजल का व्यावसायिक निष्कर्षण	स्थानीय निकाय, जल संसाधान विभाग, केंद्रीय ग्राउंड वाटर अथॉरिटी , कलेक्टर
18	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं, बोरवेल आदि	स्थानीय निकाय, कलेक्टर
19	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन	स्थानीय निकाय, चीफ मेडिकल एंड ऑफिसर , मध्य प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग
20	विदेशी प्रजातियों का परिचय।	स्थानीय निकाय, कलेक्टर, वन विभाग
21	इको-पर्यटन	स्थानीय निकाय, पर्यटन विभाग, वन विभाग
22	ध्वनि प्रदूषण	स्थानीय निकाय, मध्य प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड , जिला प्रशासन।
23	कमर्शियल साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	स्थानीय निकाय, परिवहन विभाग, वन विभाग
24	ऊपर सूचीबद्ध न की गई कोई अन्य गतिविधि	मॉनीटरी कमेटी की सिफारिश के अनुसार विनियमित किया गया

** नोट: दिनांक 10.10.2024 और 08.11.2024 को हुई पहली और दूसरी अंतर-राज्य विभागीय बैठक के दौरान मिली टिप्पणियों के आधार पर।*

संबंधित डिपार्टमेंट / रेगुलेटरी अथॉरिटी को मॉनिटरिंग कमिटी की सिफारिशों के अनुसार गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान करेंगें।

8.5 कार्यान्वयन और प्रक्रिया प्रवाह

आंचलिक महायोजना (ZMP) को पढ़ने और लागू करने की प्रक्रिया

चरण **1:** गतिविधि वर्गीकरण

प्रस्तावित गतिविधि की पहचान करें और उसे पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन अधिनियम की प्रतिषिद्ध, विनियमित, या संवर्धित श्रेणियों के तहत वर्गीकृत करें। (वर्गीकृत गतिविधियों की पूरी सूची के लिए खण्ड 2, अध्याय 2 देखें।)

चरण 2: वर्गीकरण के आधार पर निर्णय मार्ग

- **प्रतिषिद्ध गतिविधियाँ**: स्वतः अस्वीकृत; इन पर आगे कोई विचार नहीं किया जाना है।
- **संवर्धित गतिविधियाँ**: पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के भीतर सभी क्षेत्रों में अनुमत। अनुमोदन के लिए नामित विनियामक प्राधिकरण को अग्रेषित। (खण्ड 2, अध्याय 8, अनुभाग 8.3 देखें।)
- **विनियमित गतिविधियाँ**: इस हेतु स्थानिक और प्रासंगिक मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसके लिए, संवेदनशील क्षेत्रों के विरुद्ध प्रस्तावित खसरा स्थान का सत्यापन, जिसमें शामिल हैं:

अ. संरक्षित क्षेत्रों **(PA)** से **1** किमी की दूरी
आ. पहाड़ी ढलान **>=20°**
इ. अनाच्छादित क्षेत्र
ई. जल निकायों के आसपास संरक्षण
उ. धार्मिक महत्व के स्थान
ऊ. बाघ कोरिडोर

यदि संवेदनशील क्षेत्रों के भीतर स्थित है, तो गतिविधि को खण्ड 2, अध्याय 8, अनुभाग 8.2: "क्षेत्रों के अनुसार विनियम" के अनुपालन के विरुद्ध जांचा जाना चाहिए। अनुपालन पर, प्रस्ताव अनुमोदन के लिए नामित विनियामक प्राधिकरण को भेजा जा सकता है (खण्ड 2, अध्याय 8, अनुभाग 8.3)।

चरण 3: अनुमोदन उपरांत प्रबंधन

अनुमोदित गतिविधियों को खण्ड 2, अध्याय 3 और 5 में दिए गए प्रबंधन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। ये दिशानिर्देश सुनिश्चित करते हैं कि विकास टिकाऊ रहे और पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के पारिस्थितिक और नियामक प्रारूप के अनुरूप हो।

अध्याय 9 निष्कर्ष

संजय डुबरी पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के लिए आंचलिक महायोजना एक समग्र और एकीकृत रुपरेखा प्रस्तुत करती है। आंचलिक महायोजना का उद्देश्य पारिस्थितिक संवेदी ज़ोन के परिदृश्य (लैंडस्केप) में संरक्षण की आवश्यकताओं को सतत विकास के साथ संरेखित करना है। यह योजना, पारिस्थितिकीय परिस्थितियों, समुदाय की निर्भरताओं और सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलताओं के विस्तृत आकलन पर आधारित विषय विशिष्ट रणनीतियां बताती है, जो समग्र रूप से जैवविविधता संरक्षण, पर्यावरणीय सुधार और समावेशित विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है।

यह महायोजना, जिसमें वन और जैवविविधता का संरक्षण, मृदा और जल का प्रबंधन, जैविक कृषि, नवीकरणीय उर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन तथा प्रदूषण को कम करना सम्मिलित है, के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना बताती है , जो जलवायु के प्रति संवेदनशीलता को बनाए रखते हुए पारिस्थितिक क्रियाकलापों को पुनर्स्थापित करती है। यह स्वीकार करते हुए, कि परिदृश्य (लैंडस्केप) को सहेजने में हितधारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इस योजना में समुदाय की भागीदारी और संस्थाओं को सशक्त करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

आंचलिक महायोजना, आजीविका विकास और उपआंचलिक पर्यटन महायोजना पर ध्यान केन्द्रित करते हुए संरक्षण आधारित आर्थिक विकास के लिए व्यावहारिक और संवेदनशील दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है। यह योजना, वनों पर निर्भरता को कम करते हुए, पारिस्थितिक- कृषि पद्धतियों को अपनाकर, गैर काष्ठ वन उपज वैल्यू चैन, कौशल विकास और ग्रामीण उद्यम को प्रोत्साहित कर आय के अवसरों में वृद्धि करने का प्रयास करती है।

पर्यटन योजना दूरदर्शी दृष्टिकोण से तैयार की गई है , जो पर्यटन स्थलों की विशेषताओं के अनुरूप कई ज़ोन में वर्गीकृत की गई है तथा उस क्षेत्र की संस्कृति से गहरी जुड़ी हुई है एवं क्षेत्र की पारिस्थितिक क्षमता के अनुसार कार्यशील बनाई गई है। पर्यटन उप योजना में यह सुनिश्चित किया गया है की पर्यटन, संसाधनों के दोहन के स्थान पर संरक्षण आधारित वित्त और स्थानीय सशक्तिकरण का साधन बने।

समग्र रूप से, संजय डुबरी आंचलिक महायोजना न केवल एक विनियामक साधन के तौर अपितु एक दृष्टिकोण पत्र (विज़न डॉक्यूमेंट) के रूप में भी कार्य करती है , जो पारिस्थितिक संवेदी योजना के सिद्धांतों को क्रियान्वित करता है। यह योजना एक गवर्नेंस मॉडल को प्रस्तुत करती है जो सरंक्षण, विकेंद्रीकरण और पारिस्थितिक उत्तरदायित्वो पर आधारित है। पर्यावरणीय प्राथमिकताओं को आजीविका की आवश्कताओं और संस्थागत क्षमताओं के साथ जोड़कर यह योजना , समूचे देश में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदी क्षेत्रों में सतत परिदृश्य (लैंडस्केप) प्रबंधन के लिए एक अनुकरणीय प्रतिमान प्रस्तुत करती है।